राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक : एफ-4 (5) ग्रावि/ग्रारो/सामान्य/नरेगा/08-09 जयपुर, दिनांक : 25.8.2008

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
समस्त राजस्थान

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत श्रमिकों के नियोजन बाबत।

संदर्भः- विभागीय पत्र दिनांक 27.03.08 एवं 29.05.08

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के अन्तर्गत निष्पादित कराए जा रहे कार्यो पर नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों को 5-5 के समूह के समूह में लगाए जाने के निर्देश समय-समय पर दिये जाते रहे हैं। मेट के नियोजन बाबत जारी निर्देशों में भी यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया था कि मेट नियोजित किये जा रहे श्रमिकों को उनकी आपसी सहमति के आधार पर 5-5 के समूह बनाकर उनके नाम मस्टररोल में अंकित करेगा एवं समूह के आधार पर ही कार्य आवंटन व निष्पादित कार्य की माप मेट माप प्रपत्र में दर्ज करेगा।

प्राप्त फीडबैक के अनुसार जिलों में समान रूप से यह व्यवस्था अभी तक लागू नहीं की गई है, जिसके कारण एक कार्य पर समूह के आधार पर निष्पादित टास्क में अन्तर नहीं रहा है। कार्य करने वाले एवं नहीं करने वाले श्रमिकों को एक टास्क के आधार पर समान मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। इसके कारण नियोजित श्रमिकों में भी असंतोष है एवं यह उचित नहीं है एवं स्पष्ट रूप से विभागीय निर्देशों की अवहेलना है।

आपसे यह सुनिश्चित करें कि जिले में चल रहे समस्त कार्यों पर श्रमिकों का नियोजन 5-5 के समूह में अनिवार्य रूप से किया जावे तथा मेट उनको समूहवार कार्य आवंटित करे एवं प्रतिदिन निष्पादित कार्य का इन्द्राज मेट माप प्रपत्र में दर्ज किया जावे। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान समूहवार निष्पादित टास्क के अनुसार ही किया जावे, यह सुनिश्चित करें।

आप मुझे 3 दिवस में यह सूचना प्रस्तुत करें कि आपके जिले में कुल कितने कार्य प्रगति पर चल रहे हैं तथा उनमें कितने कार्यो पर श्रमिकों का नियोजन समूह के आधार पर किया जा रहा है। भविष्य में यह सूचना हर माह आप मासिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ भिजवाना सुनिश्चत करें।

आप द्वारा इस प्रक्रिया को लागू करने में यदि कोई समस्या महसूस की जा रही है तो उन संस्याओं से अवगत करावें ताकि उनका निदान किया जा सके।

श्रमिकों का नियोजन 5-5 के समूह में ही हो, यह सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय

(राम लुभाया)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :

1. निर्देशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज्य एवं ग्रामीण विकास संस्थाएँ, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला समन्वयक।
3. अधिशाषी अभियंता।
4. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव